कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

PBR/निगरानी/राजगढ/भू-रा/2017/1667

37

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–राजगढ़

श्याम सुन्दर गुप्ता आत्मज श्री बल्लभ गुप्ता
निवासी – राजगढ जिला राजगढ़ (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

1– गजरी बाई पत्नी प्यारजी
निवासी – ग्राम सुन्दरपुरा तहसील व जिला राजगढ़ (म.प्र.)

2– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 07.6.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/राजगढ/भू.रा./2017/1667 **जिला राजगढ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–9–2017	आवेदकपक्ष एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह निगरानी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–11 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 7–6–17 को लगभग 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की सूचना आवेदक को नहीं दिया जाना बताया गया है । जबकि उस न्यायालय में निगरानी स्वयं आवेदक ने पेश की थी । इतनी अवधि तक स्वयं की निगरानी की जानकारी न लेना समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है । **अध्यक्ष**	